Rajesh Bhushan, IAS
STATE PROJECT DIRECTOR

पत्रांक : TM/AIE/92/2008-09/ 3982 दिनांक 14 / 08 / 2009

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्,
पटना।

सेवा में,

जिला शिक्षा अधीक्षक–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार शिक्षा परियोजना,
सभी जिला (बिहार)।

विषय : **संशोधित तालीमी मरकज का प्रेषण।**

महाशय,

तालीमी मरकज मार्गदर्शिका की संशोधित प्रति पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए आप सभी को निदेश दिया जाता है कि इस संशोधित मार्गदर्शिका के अनुरूप ही तालीमी मरकज प्रारंभ करने की कार्रवाई त्वरित रूप से प्रारंभ करें।

संशोधित मार्गदर्शिका के अनुरूप पूर्व में पत्रांक 1087 दिनांक 11.03.2008 तथा पत्रांक 5344 दिनांक 13.10.2008 के द्वारा भेजी गयी तालीमी मरकज मार्गदर्शिका संशोधित समझी जायेगी।

विश्वासभाजन

12/8/09

(राजेश भूषण)
राज्य परियोजना निदेशक

:0612-2280699/2285793, fax: 0612-2281005, Email: dpepbihar@hotmail.com, Website www.bsppssa.org

तालीमी मरकज
मार्गदर्शिका

(मुस्लिम समुदाय के 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए गैरआवासीय सेतु पाठ्यक्रम)

सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अतिपिछड़े मुस्लिम समुदाय, जिसके अन्तर्गत एनेक्सर –1 की सभी मुस्लिम जातियाँ सम्मिलित हैं, के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु, उनके प्रत्येक गाँव/टोला में वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा के अन्तर्गत एक **"तालीमी मरकज"** प्रारम्भ किया जायेगा।

विशेषतायें :

1. इसमें कक्षा 2 तक की दक्षता प्रत्येक बच्चे को सुनिश्चित की जायेगी।
2. मरकज के सभी बच्चों को दो वर्ष की अवधि के बाद समान्य विद्यालय के कक्षा 3 में नामांकन कराया जायेगा।
3. मरकज में प्रत्येक 20 बच्चे पर एक शिक्षक, बच्चों की संख्या 40 या ऊपर होने की स्थिति में दो शिक्षक, 70 या ऊपर होने की स्थिति में तीन शिक्षक तथा 100 अथवा 100 से ऊपर होने पर चार शिक्षक होंगे।
4. इस मरकज के शिक्षक को स्वयंसेवक के नाम से जाना जायेगा।
5. स्वयंसेवक सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अतिपिछड़े मुस्लिम समुदाय, जिसके अन्तर्गत एनेक्सर –1 की सभी मुस्लिम जातियाँ सम्मिलित हैं, के उन्हीं जातियों से लिये जायेंगे जिनके बच्चे तालीमी मरकज पर नामांकित होंगे।
6. स्वयंसेवक की न्यूनतम योग्यता मैट्रिक होगी।
7. स्वयंसेवक को मानदेय के रूप में 2000 रु. प्रतिमाह देय होगा।
8. मरकज का संचालन एक संचालन–समिति के द्वारा होगा।
9. मरकज में नामांकित प्रत्येक बच्चे को पाठ्यपुस्तक एवं अन्य शिक्षण अधिगम सामग्री उपलब्ध कराई जायेगी।
10. मरकज के लिये स्थल की व्यवस्था समुदाय के तरफ से की जायेगी।
11. मरकज के सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत मध्याह्न भोजन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. मध्याह्न भोजन के लिये बरतन के क्रय हेतु राशि मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।
13. मध्याह्न भोजन तैयार करने का कार्य मरकज पर नामांकित बच्चों की माताओं की समिति "माता समिति" के द्वारा या उनके माध्यम से चुने गये सदस्यों के द्वारा किया जायेगा।
14. मरकज के बच्चों को उनकी माँग के अनुसार पाठ्यपुस्तक हिन्दी या उर्दू में उपलब्ध करायी जायेगी।

तालीमी मरकज संचालन–समिति

- मरकज–संचालन व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से हो इसके लिये एक 8 सदस्यीय संचालन–समिति का गठन किया जायेगा।

- संचालन–समिति का गठन संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- संचालन–समिति में नामांकित बच्चों के माता–पिता में से 5 सदस्य चुने जायेंगे। संचालन–समिति में 5 सदस्य कौन माता–पिता होंगे इसका चुनाव नामांकित सभी बच्चों के माता–पिता द्वारा किया जायेगा। नजदीकी विद्यालय के प्रधानाध्यापक तथा विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष एवं सचिव भी संचालन–समिति के सदस्य होंगे।
- संचालन–समिति के चयनित 8 सदस्य आपस में मिलकर अध्यक्ष एवं सचिव का चुनाव करेंगे। अध्यक्ष एवं सचिव हर हाल में बच्चों के संचालन समिति के लिये चयनित माता–पिता में से चुना जाएगा।
- मरकज के संचालन के संबंध में संचालन–समिति निर्धारित नियमों के अंतर्गत निर्णय लेने के लिये पूरे तौर पर सक्षम होगी।
- संचालन–समिति के प्रत्येक **बैठक** की कार्यवाही, 'कार्यवाही पंजी' में दर्ज की जायेगी। संचालन–समिति की बैठक, अध्यक्ष की अनुमति से सचिव द्वारा बुलाई जायेगी।

तालीमी मरकज के शिक्षा स्वयंसेवक

मरकज के शिक्षा स्वयंसेवक का नियोजन संचालन–समिति के द्वारा किया जायेगा।

अर्हता :

- स्वयंसेवक प्राथमिकता के आधार पर उसी जाति से लिया जायेगा जिस जाति के बच्चे मरकज पर नामांकित होंगे तथा संचालित मरकज के गाँव/टोले से ही लिये जायेंगे।
- न्यूनतम योग्यता मैट्रिक होगी।
- न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी।
- महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी।
- न्यूनतम योग्यताधारी महिला के समुदाय में अनुपलब्ध होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य को समुदाय से स्वयंसेवक के रूप में चयनित किया जायेगा। स्वयंसेवक का प्राथमिक दायित्व समुदाय के प्रत्येक बच्चे की मरकज पर उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए सभी को कक्षा दो की दक्षता आवश्यक रूप से सुनिश्चित करनी होगी।
- बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं बच्चों की दक्षता के आधार पर ही स्वयंसेवक के कार्यों का मूल्यांकन किया जायेगा। स्थिति संतोषजनक नहीं पायी जाने पर संचालन–समिति किसी भी समय उन्हें मुक्त कर सकती है तथा उनके स्थान पर निर्धारित अर्हता के अनुरूप दूसरे को नियोजित कर सकती है।
- स्वयंसेवक का नियोजन–पत्र अध्यक्ष एवं सचिव, संचालन–समिति के द्वारा निर्गत किया जायेगा।

तालीमी मरकज की व्यय–व्यवस्था

मरकज के स्वयंसेवक का मानदेय 2000/– रु. प्रतिमाह होगा। मरकज पर नामांकित प्रत्येक बच्चे को 150/– रु. मूल्य तक की शिक्षण अधिगम समग्री प्रतिवर्ष उपलब्ध करायी जायेगी। 40 बच्चों के मरकज पर वार्षिक–व्यय निम्नवत् अनुमान्य होगा :

40 बच्चों पर व्यय

क्र. सं.	मद	प्रति इकाई दर	वार्षिक–व्यय	अभ्युक्ति
1	शिक्षा स्वयंसेवक 2	2000रु./माह/स्वयंसेवक	2000X12X2 = 48000रु.	1558रु. /बच्चा/वर्ष (अधिकतम)
2.	शिक्षा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण(आवासीय)	100रु. /स्वयंसेवक/दिन कुल 15 दिनों का वार्षिक	100X15X2 = 3000 रु.	
3.	शिक्षण अधिगम सामग्री	150रु./बच्चा/वर्ष	150 X 40 = 6000रु.	
4.	शिक्षण अधिगम उपकरण	3500रु./वर्ष (आवश्यकतानुसार)	3500रु.	
5.	केन्द्र आकस्मिकता	1800रु. /वर्ष	1800रु.	
	कुल	....	62300रु./वर्ष	

100 बच्चों पर व्यय

क्र. सं.	मद	प्रति इकाई दर	वार्षिक व्यय	अभ्युक्ति
1	शिक्षा स्वयंसेवक 4	2000रु./माह/स्वयंसेवक	2000X12X4 = 96000रु.	1305रु. /बच्चा/वर्ष
2.	शिक्षा स्वयंसेवक का प्रशिक्षण(आवासीय)	100रु. /स्वयंसेवक/दिन कुल 15 दिनों का वार्षिक	100X15X4 = 6000 रु.	
3.	शिक्षण अधिगम सामग्री	150रु./बच्चा/वर्ष	150 X 100 = 15000रु.	
4.	शिक्षण अधिगम उपकरण	3500रु./वर्ष (आवश्यकतानुसार)	9000रु.	
5.	केन्द्र आकस्मिकता	1800रु. /वर्ष	4500रु.	
	कुल	....	1,30,500 रु./वर्ष	

बच्चों को दी जानेवाली शिक्षण अधिगम सामग्री :
पाठ्य–पुस्तक एवं अन्य सहायक पुस्तकें–अधिकतम 80रु. / बच्चा / वर्ष।

- कॉपी 12 (एक जिस्ता की) / वर्ष।
- पेंसिल 12 अदद / वर्ष।
- कटर 12 अदद / वर्ष।
- स्लेट 4 अदद / वर्ष।
- रबर 6 अदद / वर्ष।
- पेंटिग बॉक्स 2 अदद / वर्ष।
- पेंटिग सीट 12 अदद / माह।

मरकज पर उपलब्ध करायी जानेवाली सामग्री :

1. श्यामपट।
2. सभी बच्चों को बैठने के लिये समुचित मात्रा में टाट–पट्टी।
3. खल्ली, डस्टर आवश्यकतानुसार।
4. पीने के पानी की सामग्री. यथा– बाल्टी, जग, गिलास, कढ़ुआ आदि।
5. मरकज की सामग्री को रखने के लिये बक्सा।
6. बच्चों को खेलने के लिये आवश्यक सामग्री जो केन्द्र स्थल पर उपलब्ध खेल के स्थान की उपलब्धता के अनुरूप तय की जायेगी।
7. प्रत्येक 5 बच्चों के समूह पर एक अक्षर–कार्ड, बारहखड़ी कार्ड, अंक एवं संख्या–कार्ड।
8. बच्चों के अध्ययन–अध्यापन से संबंधित अन्य सामग्री जो संचालन–समिति आवश्यक समझेगी।

- सामग्री का क्रय संचालन–समिति के द्वारा किया जायेगा। बच्चों को दी जानेवाली सामग्री यदि शिक्षण अधिगम सामग्री मद में निर्धारित राशि से पूरी नहीं होगी तो केन्द्र आकस्मिकता मद तथा शिक्षण अधिगम उपकरण मद से उसकी पूर्ति की जायेगी।
- प्रत्येक मरकज पर एक स्टॉक–पंजी संधारित होगी जिसमें केन्द्र एवं बच्चों के लिये क्रय की गयी सामग्री को उसके मूल्य के साथ संधारित किया जायेगा। प्रत्येक केन्द्र पर एक वितरण–पंजी भी संधारित की जायेगी जिसमें बच्चों के लिये वितरित की गयी सामग्री को बच्चों के नाम के साथ संधारित किया जायेगा। स्टॉक–पंजी तथा वितरण–पंजी को संधारित करने का कार्य मरकज के सर्वाधिक योग्यताधारी शिक्षा स्वयंसेवक के द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवकों की योग्यता एक समान होने की स्थिति में संचालन–समिति द्वारा किसी एक शिक्षा स्वयंसेवक को इस कार्य के लिये प्राधिकृत किया जायेगा।
- मरकज पर बच्चों तथा शिक्षा स्वयंसेवकों की उपस्थिति पंजी, मुख्यधारा में शामिल होनेवाले बच्चों की पंजी तथा संचालन समिति की बैठक से संबंधित पंजी संधारित की जाएगी।

राशि का आवंटन

जिला से राशि विद्यालय शिक्षा समिति के खाता में सीधे स्थानान्तरित की जायेगी। बच्चों एवं केन्द्र के लिये सामग्री का क्रय विद्यालय शिक्षा समिति के द्वारा सीधे नहीं किया जायेगा बल्कि संचालन–समिति के द्वारा किया जायेगा। स्वयंसेवकों का मानदेय विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा सीधे उनके खाता में प्रत्येक माह में आवश्यक रूप से भेजना सुनिश्चित किया जायेगा।

तालीमी मरकज का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन

मरकज का अनुश्रवण एवं अनुसमर्थन संचालन–समिति, विद्यालय शिक्षा समिति, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, संकुल संसाधन केन्द्र समन्वयक, प्रखंड संसाधन केन्द्र समन्वयक एवं वैकल्पिक

तथा नवाचारी शिक्षा समन्वयक के द्वारा किया जायेगा। राज्य–स्तर से मरकज का अनुश्रवण, राज्य संसाधन समूह के माध्यम से किया जायेगा। राज्य अन्य माध्यमों से भी आवश्यकतानुसार अनुश्रवण, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करा सकती है।

मध्याह्न भोजन

मरकज पर नामांकित प्रत्येक बच्चे को मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत पका–पकाया भोजन उपलब्ध कराया जायेगा। मध्याह्न भोजन तैयार करने की जिम्मेवारी मरकज पर नामांकित बच्चों की माताओं के समूह के द्वारा निर्धारित की जाएगी। माता–समूह के द्वारा सहमत नहीं होने की स्थिति में ही संचालन–समिति अन्य माध्यमों से भोजन तैयार करने के संबंध में निर्णय ले सकती है। मरकज के बच्चों के लिए पका–पकाया भोजन तैयार करने के लिये आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न एवं राशि का आवंटन जिला के स्तर से किया जायेगा। प्रत्येक मरकज में सभी बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध हो इसकी पूरी जवाबदेही प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की होगी। प्रत्येक मरकज में पका–पकाया भोजन तैयार करने के लिये बरतन क्रय के लिये राशि, राज्य सरकार के स्तर से बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् को उपलब्ध करायी जायेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के स्तर से राशि जिलों को आवंटित की जायेगी। बरतन का क्रय मरकज संचालन–समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

तालीमी मरकज के बच्चों का विद्यालय में नामांकन तथा उपस्थिति

मरकज में नामांकित बच्चों को कक्षा 2 तक की दक्षता सुनिश्चित की जानी है। मरकज पर नामांकित बच्चों का मरकज पर कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इस दो वर्ष की अवधि में बच्चों को कक्षा दो की दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। दो वर्ष की अवधि तथा कक्षा दो की दक्षता पूरी करनेवाले सभी बच्चों का नामांकन मुख्यधारा के विद्यालय में आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जायेगा। बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालय में नामांकन कराने तथा विद्यालय में उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने की जवाबदेही मरकज के स्वयंसेवकों की होगी।

तालीमी मरकज के कार्यों का मूल्यांकन

संचालित मरकज का प्रत्येक दो वर्ष की अवधि पर मूल्यांकन किया जायेगा। मूल्यांकन के मुख्य बिन्दु निम्न होंगे :

1. जिस मुस्लिम गाँव/टोला के लिये मरकज का संचालन किया गया है उसके सभी बच्चे नामांकित हैं।
2. मरकज में नामांकित सभी बच्चों की नियमित उपस्थिति मरकज पर हो रही है।
3. मरकज के बच्चों को निर्धारित सभी सुविधायें प्राप्त हैं।
4. दो वर्षों से नामांकित सभी बच्चों को कक्षा दो की दक्षता प्राप्त है।
5. दो वर्ष की अवधि पूरा करनेवाले प्रत्येक बच्चे का नामांकन मुख्यधारा के विद्यालय में सुनिश्चित हो गया है।
6. मुख्यधारा के विद्यालय में नामांकित प्रत्येक बच्चे की नियमित उपस्थिति विद्यालय में हो रही है।

मूल्यांकन के क्रम में यदि पाया जाता है कि मरकज अपने निर्धारित दायित्व " सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से अतिपिछड़े मुस्लिम समुदाय, जिसके अन्तर्गत एनेक्सर –1 की सभी मुस्लिम जातियाँ सम्मिलित हैं, के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुनिश्चितता" को पूरा करने में असफल हो रहा है तो इसे बन्द करने पर भी विचार किया जा सकता है।

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् के परिपत्र संख्या 1087 दिनांक 10 मार्च 2008 में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाना है कि तालिमी मरकज योजना "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अतिपिछड़े मुस्लिम समुदाय के लिए है तथा इसके तहत एनेक्शर –I की मुस्लिम समुदाय की सभी जातियों को लाभान्वित किया जाना है"

Council
Bihar Education
PATNA

Programme Officer
Bihar Education Project Council